आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
29.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत वान महतो पिता जितु महतो के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट) प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत है:— **<u>खतियान की स्थिति</u>**:— मौजा भागलपुर जुलजुला, थाना नं0 120 के सर्वे खतियान में खाता सं0 58 रकबा क्रमशः 0.50 एकड़ गैरमजुरूआ खास परती कदीम दर्ज है। **<u>पंजी ii की स्थिति</u>** :— मांग पंजी <u>ii</u> भाग I के पृष्ट सं0 61 में दर्ज जमाबंदी रैयत वान महतो पिता जितु महतो के नाम से खाता सं0 58/1 रकबा 0.50 एकड़ दर्ज है जमाबंदी 1977—78 में दर्ज किया गया है। किन्तु जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। लगान वर्ष 2014—15 तक वसूली है। परन्तु जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। आवेदित भूमि पर पंजी II रैयत के वंशजों का दखल कब्जा है। बन्दोवस्ती एवं भूदान पंजी से मिलान किया गया दर्ज नहीं पाया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार पंजी II भोलूम I के पृष्ट सं0 61 में खाता सं0 58/1 रकबा 0.50 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा भागलपुर जुलजुला थाना नं0 120 खाता सं0 58/1 रकबा 0.50 एकड़ भूमि को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	